

दिनांक

शिविर स्थल

पिन

संशोधन विभाग/नाम संशोधन के संबंध में।

संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 136

शिवरत्ना पिता/पति श्री हरिराम

धनम

संशोधन विभाग, तहसीलदार बस्ती

महोदयजी

उपरोक्त सेवा एवं अनुमति में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शिवरत्ना पिता/पति हरिराम शिवरत्ना की बेटा की हैं/हैं।

मेरे/हमारे पता सोनगर के राजस्व ग्राम शिवरत्ना की बेटा में खाता संख्या 17, 15 कितना 32, 3 रकम 3-73 है। भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम शिवरत्ना दर्ज है जो कि मेरी/हमारे सम्पत्ति का हिस्सा है। शिवरत्ना दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मैं/हमारी जाति/नाम शिवरत्ना के पता शिवरत्ना दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 26-09-25

शिवरत्ना  
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

स्वीकृत पता है हल्का सोनगर

महोदयजी

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शिवरत्ना पिता/पति हरिराम निवासी शिवरत्ना की बेटा राजस्व ग्राम शिवरत्ना की बेटा पटवार हल्का सोनगर की जमाबन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्पत्ति का हिस्सा जाति/नाम के रूप में शिवरत्ना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही क्षेत्र/गाँव/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना चाहिए है।

शिवरत्ना

ममम  
26-09-25  
हस्ताक्षर भू.अ.नि. शिवरत्ना

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक - / / 2025

क्रमांक-भू.अ./2025/

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श.व.रिजा पिता/पति सर राम निवासी शुचरता की बंसी पटवार हल्का सोनागढ़ के राजस्व ग्राम शुचरता की बंसी में जमावन्दा मुदा 2078-81 की खाता संख्या 17/45 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम शुचरता किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम शुचरता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. कारतकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

(12)  
तहसीलदार(भू.अ.)  
बरसी  
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक 26/9/2025

क्रमांक-सीडर/2025/ 712

निमित्त,

पटवार हल्का सोनागढ़

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री श.व.रिजा पिता/पति सर राम राजस्व ग्राम शुचरता की बंसी पटवार हल्का सोनागढ़ की खाता संख्या 17 में जाति/नाम शुचरता दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श.व.रिजा पिता/पति सर राम की जाति/नाम शुचरता एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है। पटवार हल्का सोनागढ़ राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

प्र.अ.  
382/2025  
26.9.25